

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 292] No. 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2012/ज्येष्ठ 31, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2012/JYAISTHA 31, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

सा.का.नि. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 38(अ), दिनांक 19 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत::—

"(1) श्री एम.सी. जोशी पूर्व अध्यक्ष, सीबीडीटी सी-1/79, बापा नगर, जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110.001।

 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

> [फा. सं. 1/15/2010-पीआई] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

-अध्यक्ष"

नोट: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तथा सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2012

C.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 38(E) dated the 19th January, 2011.

In the said notification, for serial number (1) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"(1) Shri M.C. Joshi Former Chairman, CBDT C-1/79, Bapa Nagar, Zakir Hussain Marg, New Delhi-110 001.

 $2. \ \,$ This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

—Chairman"

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011 and G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012.

2243 GI/2012